पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2019

अनवान :

1. बृजलाल पुत्र सेडूराम जाति मेघवाल निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ब्रह्मानन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 284/399 के खसरा सं0 393 की 2.2760, खसरा सं0 610/1 की 1.8970 खसरा सं0 611 की 3.1490 है0 कृषि भूमि में वादी का नाम **"बिरजाराम"** के स्थान पर **"बृजलाल उर्फ बिरजाराम"** राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

24.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2019

अनवान :

1. बृजलाल पुत्र सेडूराम जाति मेघवाल निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति : वकील श्री ब्रह्मानन्द शर्मा **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 24.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व उसके भाई मेहरचन्द, मोहनलाल, रामकुमार आदि की रोही मौजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 284/399 के खसरा सं0 393 कीं 2.2760, खसरा सं0 610/1 की 1.8970 खसरा सं0 611 की 3. 1490 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाते की हिस्से अनुसार दर्ज है।

उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम सहबन से बृजलाल की जगह बिरजाराम दर्ज है जबकि वादी का वास्तव में नाम बृजलाल है जो वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी (पहचान पत्र), भामाशाह कार्ड एवं विद्युत बिल में वादी का नाम बृजलाल दर्ज है एवं वास्तव में बृजलाल ही है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा के खिलाफ है परन्तु राजस्थान सरकार का किसी प्रकार हित दावा में निहित नहीं है एवं ना ही राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रत्यक्ष अनुतोष दावा में चाहा गया है इसलिए बिना नोटिस के दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का नाम बिरजाराम दर्ज रहने से वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिए वादी जमाबन्दी में अपना नाम बृजलाल घोषित करवाकर जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में रिकार्ड दुरूस्त कराने का अधिकारी है। सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ की मूल रिपोर्ट आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह एवं विद्युत बिल की फोटो प्रति संलग्न है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

24.6.19

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी घोषित करवाने का अधिकारी है कि वादी का वास्तविक नाम बृजलाल पुत्र सेडूराम जाति मेघवाल निवासी घेऊ तहसील भादरा है तथा जमाबन्दी मे वादी का नाम बिरजाराम गलत दर्ज है ?

— वादी

2. आया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संशोधित कर बृजलाल पुत्र सेडूराम जाति मेघवाल दर्ज किया जावे ?

— वादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बृजलाल पुत्र सेडूराम, पीडब्ल्यु 2 मन्जु देवी सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ, मोहनलाल पुत्र सेडूराम के सशपथ बयान करवाये गये। मेहरचन्द, रामकुमार के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ खाता सं0 284/399 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्र प्रति भामाशाह कार्ड, चित्रप्रति विद्युत बिल पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रार्थी का नाम सहबन से बृजलाल की जगह बिरजाराम दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम बृजलाल है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करने हेतु पेश किया है। हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है। चूंकि दोनों तनकीयात एक दूसरे से संबंध रखती है, इसलिए दोनों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित है। वादी ने अपने वाद पत्र में सहबन अपना नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजाराम दर्ज होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने अपने साक्ष्य में पीडब्ल्यु 1 बृजलाल, पीडब्ल्यु 2 मन्जु देवी सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ, मोहनलाल पुत्र सेडुराम, मेहरचन्द पुत्र सेडुराम, रामकुमार पुत्र सेडुराम के शपथ पत्र पेश किये व शपथ बयान करवाये गये है। उक्त पीडब्ल्यु 1 बृजलाल, मोहनलाल, मेहरचन्द, रामकुमार वाद भूमि में सहखातेदार है जिन्होने शपथ पत्र देकर वादी के दावा की पुष्टि की है। प्रदर्श 2 प्रमाण पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ ने दोनों नाम बृजलाल पुत्र सेडुराम के होने व सही नाम बृजलाल पुत्र सेडूराम होने की पुष्टि की है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेज यथा चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्र प्रति भामाशाह कार्ड में वादी का नाम बृजलाल दर्ज है। प्रतिवादी पेरोकार राज ने भी अपने जबाब में वादी के दावा का खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

24.6.12

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है, यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 284/399 के खसरा सं0 393 की 2.2760, खसरा सं0 610/1 की 1.8970 खसरा सं0 611 की 3.1490 है0 कृषि भूमि में वादी का नाम **"बिरजाराम"** के स्थान पर **"बृजलाल उर्फ बिरजाराम"** राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़